वाहन पंजीकरण और लाइसेंस

वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें

वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु, सबसे पहले आपको संबंधित आवेदन प्रपत्र पूरा करना होगा, जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। फॉर्म डाउनलोड करें

आवेदन पत्र परिवहन विभाग के किसी भी लाइसेंसिंग कार्यालय , गृह विभाग के लोक पूछताछ सेवा केन्द्र, डाकघरों के पूछताछ काउंटर पर तथा फैक्स प्रति प्राप्त करने के लिए 24घंटे की पूछताछ हेल्पलाइन (852) 2804 2600 पर भी उपलब्ध हैं।

आवेदन पत्र पूरा भरने के बाद, उसे <u>संबंधित सहायक दस्तावेजों</u> और उचित <u>शुल्क</u> के साथ, व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा, संबंधित लाइसेंसिंग कार्यालयों को भेजें।

सामान्य जानकारी

- वाहन के पंजीकरण और लाइसेंस की जानकारी
- वाहन लाइसेंसिंग और पंजीकरण आवश्यकता की सारांश तालिका

आपको ध्यान देना चाहिए:

1.सामान्य जानकारी

कृपया आवेदन पत्र पर दिए गए नोटों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सुनिश्चित करें कि फॉर्म विधिवत भरा हुआ है
 और हस्ताक्षरित है।

- सुनिश्चित करें कि आपके आवेदन के साथ सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न हों, उदाहरण के लिए,
 पते का प्रमाण और वाहन पंजीकरण दस्तावेज (यदि लागू हो), आदि;
- यदि आपको डाक, ड्रॉप बॉक्स या GovHK के माध्यम से आवेदन जमा करने के 4 सप्ताह बाद भी संबंधित लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ है, तो कृपया अनुवर्ती कार्रवाई के लिए हमें 2804 2600 पर सूचित करें;
- डाक द्वारा नकदी न भेजें। शुल्क की सही राशि के लिए क्रॉस्ड चेक/कैशियर ऑर्डर या तो "हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की सरकार" या " HKSAR " की सरकार"को देय होना चाहिए। कृपया चेक/कैशियर ऑर्डर के पीछे अपना नाम, अपनी पहचान दस्तावेज संख्या/वाहन पंजीकरण चिह्न के प्रथम चार अक्षर/अंक तथा दिन के समय का संपर्क टेलीफोन नंबर लिखें; और
- अधूरी भुगतान वाली डाक वस्तुएं अस्वीकार कर दी जाएंगी। विभाग तक आपकी डाक वस्तुओं की उचित
 डिलीवरी के लिए, कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी डाक वस्तुओं पर वापसी पते के साथ पर्याप्त डाक शुल्क
 लगा हुआ हो। (विवरण)।

2.बकाया जुर्माना

- सुनिश्चित करें कि आपने या आपके वाहन पर लगाए गए सभी चलती या पार्किंग अपराध दंड का निपटारा कर लिया है;
- यदि आप बकाया न्यायालयीन जुर्माने का भुगतान चेक द्वारा करना चुनते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन लाइसेंस और वाहन स्वामित्व के हस्तांतरण के संबंध में लाइसेंसिंग सेवाओं के लिए परिवहन विभाग को आपके आगामी आवेदन पर भुगतान की तिथि के 7 कार्य दिवसों के बाद ही कार्रवाई की जाएगी; और
- यदि परिवहन आयुक्त को आपके खिलाफ ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन लाइसेंस जारी करने से मना करने का कोई न्यायालयीन आदेश लंबित है, तो परिवहन आयुक्त को आपको ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन लाइसेंस जारी करने का अधिकार नहीं है।

3.व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन

- यदि ड्राइविंग लाइसेंस धारक/पंजीकृत स्वामी द्वारा परिवहन आयुक्त को पहले उपलब्ध कराए गए नाम, पते या पहचान दस्तावेज में कोई परिवर्तन होता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस धारक/पंजीकृत स्वामी को परिवर्तन के 72 घंटे के भीतर परिवहन आयुक्त को लिखित रूप में या परिवर्तन के प्रमाण के साथ परिवहन विभाग फॉर्म (TD559) को पूरा करके प्रस्तुत करके सूचित करना होगा। कोई भी व्यक्ति जो बिना किसी उचित कारण के ऐसी आवश्यकता का उल्लंघन करता है, वह अपराध करता है और उस पर \$2,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। नाम परिवर्तन या पहचान दस्तावेज में परिवर्तन के मामलों में, ड्राइविंग लाइसेंस धारक/पंजीकृत मालिक को संशोधन के लिए मौजूदा मूल ड्राइविंग लाइसेंस (यदि लागू हो), मूल ड्राइविंग प्रिशक्षक का लाइसेंस (यदि लागू हो), मूल वाहन पंजीकरण दस्तावेज (यदि लागू हो), वाहन लाइसेंस (यदि लागू हो) और व्यक्तिगत पंजीकरण चिह्न के आवंटन का प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) भी परिवहन आयुक्त को सौंपना होगा; और
- परिवहन विभाग के किसी भी आवेदन पत्र (वाहन के विवरण के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन (TD318) को छोड़कर) के तहत अधिसूचित पते में किसी भी परिवर्तन के लिए, इस विभाग द्वारा रखे गए समान पहचान दस्तावेज के तहत आवेदक के सभी वाहन/ड्राइविंग लाइसेंस रिकॉर्ड भी बदल दिए जाएंगे।
- यदि ड्राइविंग लाइसेंस धारक/पंजीकृत स्वामी द्वारा परिवहन आयुक्त को पहले उपलब्ध कराए गए **नाम,**पते या पहचान दस्तावेज में कोई परिवर्तन होता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस धारक/पंजीकृत स्वामी को
 परिवर्तन के 72 घंटे के भीतर परिवहन आयुक्त को लिखित रूप में या परिवर्तन के प्रमाण के साथ पूरा किया

हुआ परिवहन विभाग फॉर्म (TD559) जमा करके सूचित करना होगा। कोई भी व्यक्ति जो बिना किसी उचित कारण के ऐसी आवश्यकता का उल्लंघन करता है, वह अपराध करता है और उस पर \$2,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। नाम परिवर्तन या पहचान दस्तावेज में परिवर्तन के मामलों में, ड्राइविंग लाइसेंस धारक/पंजीकृत मालिक को संशोधन के लिए मौजूदा मूल ड्राइविंग लाइसेंस (यदि लागू हो), मूल ड्राइविंग प्रिशक्षक का लाइसेंस (यदि लागू हो), मूल वाहन पंजीकरण दस्तावेज (यदि लागू हो), वाहन लाइसेंस (यदि लागू हो) और व्यक्तिगत पंजीकरण चिहन के आवंटन का प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) भी परिवहन आयुक्त को सौंपना होगा; और

 परिवहन विभाग के किसी भी आवेदन पत्र (वाहन के विवरण के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन (TD318) को छोड़कर)के तहत अधिसूचित पते में किसी भी परिवर्तन के लिए, इस विभाग द्वारा रखे गए समान पहचान दस्तावेज के तहत आवेदक के सभी वाहन/ड्राइविंग लाइसेंस रिकॉर्ड भी बदल दिए जाएंगे।

ऑनलाइन आवेदन

अब आप GovHK (वेबसाइट <u>www.gov.hk</u>) के माध्यम से निम्नलिखित लाइसेंसिंग सेवाओं तक पहुँच सकते हैं:

- वाहन लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन
- मोटर वाहन के विवरण के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
- ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन लाइसेंस धारकों के पते में परिवर्तन

डाक आवेदन

वाहन और ड्राइवर लाइसेंस से संबंधित कुछ आवेदन डाक द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यदि आप अपना आवेदन डाक द्वारा भेजना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर जाएं:

डाक द्वारा वाहन और ड्राइवर लाइसेंसिंग दस्तावेजों के लिए आवेदन कैसे करें

अपॉइंटमेंट बुकिंग सेवा

आप वाहन लाइसेंस के नवीकरण, वाहन स्वामित्व के हस्तांतरण, डुप्लीकेट वाहन पंजीकरण दस्तावेज/डुप्लीकेट वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन, या वाहन पंजीकरण चिह्न के प्रतिधारण/असाइनमेंट के लिए अपॉइंटमेंट लेने का विकल्प चुन सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट बुकिंग सेवा के 24-घंटे इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम को 3763 8080 पर कॉल कर सकते हैं या GovHK पर लॉग इन कर सकते हैं और निःशुल्क अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर, आप या आपका एजेंट आपके वाहन लाइसेंस का नवीनीकरण कर सकते हैं, वाहन स्वामित्व हस्तांतरित कर सकते हैं, डुप्लिकेट वाहन पंजीकरण दस्तावेज/डुप्लिकेट वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, या वाहन पंजीकरण चिह्न को बनाए/असाइन कर सकते हैं। चयनित लाइसेंसिंग कार्यालय के निर्दिष्ट काउंटर पर पूर्ण आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ नियुक्त समय के दौरान।

ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग वाहन लाइसेंस नवीनीकरण, वाहन स्वामित्व हस्तांतरण, डुप्लिकेट वाहन पंजीकरण दस्तावेज/डुप्लिकेट वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन, या वाहन पंजीकरण चिह्न के प्रतिधारण/ असाइनमेंट के लिए

नवीनतम जानकारी के लिए कृपया <u>अंग्रेजी संस्करण</u> देखें।